**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**रवि आनंद**

**बनाम**

**बिहार राज्य एवं अन्य**

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 10188

**08 अगस्त 2023**

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)**

## विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता का एकीकृत पाठ्यक्रम बी.टेक (विद्युत अभियांत्रिकी) एवं एम.टेक (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) सहायक प्राध्यापक (विद्युत अभियांत्रिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु एम.टेक (विद्युत अभियांत्रिकी) के समकक्ष माना जा सकता है?

## हेडनोट्स

*यूनिकृष्णन सी.वी. बनाम भारत संघ* (ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 1943) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनरीक्षण न तो निर्धारित अर्हताओं के दायरे का विस्तार कर सकता है और न ही किसी निर्धारित अर्हता को अन्य किसी अर्हता के समकक्ष घोषित कर सकता है। (कंडिका- 13)

अतः न्यायालय इस चर्चा में नहीं जा सकता कि एम.टेक (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) को एम.टेक (विद्युत अभियांत्रिकी) के समकक्ष माना जा सकता है या नहीं। याचिका खारिज की जाती है। (कंडिका- 14, 15)

## न्याय दृष्टान्त

यूनिकृष्णन सी.वी. एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, **ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 1943**

## अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान, अनुच्छेद 226

**मुख्य शब्दों की सूची**

सहायक प्राध्यापक भर्ती; अर्हता मानदंड; उपाधि समकक्षता; ए.आई.सी.टी.ई. अधिसूचना; न्यायिक पुनरीक्षण; बी.पी.एस.सी. विज्ञापन सं. 11/2020

**प्रकरण से उत्पन्न**

सहायक प्राध्यापक (विद्युत अभियांत्रिकी) के पद हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन सं. 11/2020 में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी अस्वीकार किए जाने से उत्पन्न।

**पक्षकारों की ओर से उपस्थिति**

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री एस.डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री रुचिकर झा, ए.सी. टू एस.सी.-8

बी.पी.एस.सी. की ओर से: श्री कौशल कुमार झा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री आमिष कुमार, अधिवक्ता

भारत संघ की ओर से: श्री मनोज कुमार सिंह, केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता; श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता

**रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:** अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

**माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 10188**

======================================================

रवि आनंद, पिता- श्री अर्जुन प्रसाद, निवासी गाँव और डाकघर- अंडी, थाना- अस्थावन जिला- नालंदा।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. बिहार लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से जिनका कार्यालय 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना में है।
3. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।
4. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।
5. भारत संघ अध्यक्ष के माध्यम से, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, जिसका कार्यालय नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली में है।
6. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली।

... ... उत्तरदाता/ओं

======================================================

**उपस्थिति :**

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता के लिए | : | श्री एस.डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता |
| राज्य के लिए | : | श्री रुचीकर झा, एससी-8 से एसी |
| बी.पी.एस.सी. के लिए | : | श्री कौशल कुमार झा, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता |
| भा.सं. के लिए | : | श्री मनोज कुमार सिंह, सीजीसी |
| | | श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता |

======================================================

**गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद**

**मौखिक निर्णय**

**तारीख : 08-08-2023**

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.डी. संजय, बिहार लोक सेवा आयोग के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौशिक कुमार झा विद्वान अधिवक्ता श्री अमीश कुमार की सहायता से और राज्य की ओर से विद्वान एससी-8 से एसी श्री रुचिकर झा को सुना गया।

**2.** वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत की मांग कर रहा हैः.

"क. विज्ञापन सं. 11/2020 में सहायक प्राध्यापक (विद्युत अभियांत्रिकी) के पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरदाता बी.पी.एस.सी. द्वारा प्रकाशित दिनांक 06.03.2023 के अंतिम परिणाम को रद्द करने के लिए एक रिट जारी करने हेतु, क्योंकि याचिकाकर्ता को उक्त पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उत्तरदाता बी.पी.एस.सी. द्वारा उसकी आपत्ति पर विचार किए बिना या उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना, मनमाने ढंग से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है;

ख. उत्तरदाता बी.पी.एस.सी. को निर्देश देने के लिए कि वह याचिकाकर्ता को सहायक प्राध्यापक (विद्युत अभियांत्रिकी) के पद के लिए योग्य माने, जिसके पास एकीकृत पाठ्यक्रम की उपाधि है, अर्थात विद्युत अभियांत्रिकी में बी.टेक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में एम.टेक (पाँच वर्षीय);

ग. उत्तरदाता बी.पी.एस.सी. को निर्देश देने के लिए कि वह विज्ञापन सं. 11/2020 में सहायक प्राध्यापक (विद्युत अभियांत्रिकी) के पद पर नियुक्ति के लिए संशोधित परिणाम

> प्रकाशित करें जिसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी और योग्यता पर विचार किया जाए और उसके बाद, याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित किया जाए;
>
> घ. उत्तरदाता बी.पी.एस.सी. को निर्देश देने के लिए कि वह याचिकाकर्ता को संबंधित नियुक्ति नियमों के अनुसार सहायक प्राध्यापक (विद्युत अभियांत्रिकी) के पद पर नियुक्त करे, यदि उसे संबंधित पद पर चयन के लिए अंतिम परिणाम में सफल घोषित किया जाता है; और/या किसी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हकदार पाया जा सकता है।"

## याचिकाकर्ता की दलील

**3.** याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी है कि बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'बी.पी.एस.सी.' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी विज्ञापन सं. 11/2020 के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पटना, बिहार के तहत सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए, जैसा कि रिट आवेदन के अनुलग्नक '1' में निहित है, याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

**4.** विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता दलील देते हैं कि अनुलग्नक '2' के माध्यम से जो बी.पी.एस.सी. द्वारा प्रकाशित योग्य उम्मीदवारों की सूची है, याचिकाकर्ता को इस कारण से अयोग्य घोषित किया गया था कि उसने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में एम.टेक की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है न कि विद्युत अभियांत्रिकी में एम.टेक की।

**5.** विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता दलील देते हैं कि अनुलग्नक '1' से यह प्रतीत होता है कि उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता/पात्रता बी.ई/ बी.टेक/ बी.एस./ बी.एससी

(अभियांत्रिकी) और एम.ई./ एम.टेक./ एम.एस. या विद्युत अभियांत्रिकी में एकीकृत एम.टेक के रूप में निर्धारित की गई है। उसका ज़ोर इस बात पर है कि याचिकाकर्ता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में एम.टेक किया है, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा रूपांकित किया गया है और विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है, इसलिए, उसकी स्नातकोत्तर उपाधि को विद्युत अभियांत्रिकी में एम.टेक के समकक्ष माना जाना चाहिए।

**6.** अपने निवेदनों से इस न्यायालय को प्रभावित करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'ए.आई.सी.टी.ई.') द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति और ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों की एक प्रति प्रस्तुत की है। यह दलील दी जाती है कि यह न्यायालय इस बात की सराहना कर सकता है कि याचिकाकर्ता को बेहतर विशेषज्ञता मिली है और उसने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में विद्युत अभियांत्रिकी में अपना बी.टेक पूरा किया है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम की कुछ सामग्री विद्युत अभियांत्रिकी में एम.टेक के पाठ्यक्रम की सामग्री के समान है।

**7.** विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा माननीय सदस्य सचिव, ए.आई.सी.टी.ई., वसंत कुंज, नई दिल्ली के समक्ष अनुलग्नक '14' के माध्यम से प्रस्तुत अभ्यावेदन और ए.आई.सी.टी.ई. के सदस्य सचिव प्राध्यापक राजीव कुमार द्वारा दिए गए उत्तर (अनुलग्नक '15') की एक प्रति प्रस्तुत की है। यह दलील दी जाती है कि अनुलग्नक '15' के माध्यम से, ए.आई.सी.टी.ई. ने पुष्टि की है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में एम.टेक. समझा जाता है।

<u>**बी.पी.एस.सी. की दलील**</u>

**8.** दूसरी ओर, बी.पी.एस.सी.के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौशल कुमार झा दलील देते हैं कि रिट आवेदन को केवल पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने विद्युत अभियांत्रिकी में बी.टेक और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में एम.टेक का एकीकृत पाठ्यक्रम किया है। यह दलील दी जाती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्थानों द्वारा कई पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, हालांकि, इस न्यायालय को उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रमों की सूची से यह प्रतीत होता है कि ए.आई.सी.टी.ई. ने 28 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिसूचना में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की प्रमुख/मुख्य शाखाएँ शामिल हैं, जिनमें तकनीकी संस्थानों में शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रासंगिक स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों के नाम शामिल हैं, हालाँकि, इसी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित संस्थान का गवर्नर्स की बोर्ड (बी.ओ.जी.) विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर और अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार/विश्वविद्यालय/डी.टी.ई. आदि के अनुमोदन से, विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों की अंतःविषय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए उपयुक्त प्रासंगिक योग्यता उपाधियों पर उचित निर्णय ले सकता है।

**9.** विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री झा ने बताया है कि विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि में से एक विद्युत अभियांत्रिकी की है और स्नातकोत्तर उपाधि में भी अन्य पाठ्यक्रमों के अलावा विद्युत अभियांत्रिकी का एक संयुक्त पाठ्यक्रम है। यह दलील दी जाती है कि यह हमेशा नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वह पात्रता/आवश्यकता निर्धारित करे और/या भर्ती के लिए उपयुक्त योग्यता उपाधि की प्रासंगिकता के बारे में उचित निर्णय ले।

**10.** विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री झा ने **ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 1943** में दर्ज **उन्नीकृष्णन सी.वी. एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

**11.** इस मामले में, यह दलील दी जाती है कि रिट आवेदन में इस बात का कोई ज़िक्र तक नहीं है कि विद्युत अभियांत्रिकी में एम.टेक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में एम.टेक का पाठ्यक्रम एक ही है। इसके अलावा, यह भी दलील दी जाती है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना से भी यह स्पष्ट होता है कि ए.आई.सी.टी.ई., उच्च शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के उद्देश्य से भी ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों से डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त योग्यताओं की समकक्षता प्रदान नहीं करता है। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यह घोषित किया गया है कि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए उच्च अध्ययन हेतु संस्थानों/विश्वविद्यालयों में रोजगार के उद्देश्य से किसी विशेष पद के लिए उपयुक्तता का निर्णय नियोक्ताओं पर निर्भर है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

**<u>विचार</u>**

**12.** याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और बी.पी.एस.सी. के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि जिस याचिकाकर्ता के पास विद्युत अभियांत्रिकी में बी.टेक और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में एम.टेक है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा विद्युत अभियांत्रिकी में एम.टेक के बराबर घोषित नहीं किया जा सकता है। 'ए.आई.सी.टी.ई.' सार्वजनिक सूचना जो इस न्यायालय के समक्ष रखी गई है, निम्नानुसार हैः.

**"तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद**

(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-1100067

दूरभाष : 011-26131576, 77, 78, 80

वेबसाइटः डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.आई.सी.टी.ई.इंडिया.ओ.आर.जी.

सार्वजनिक सूचना

ए.आई.सी.टी.ई. को विभिन्न डिप्लोमा/उपाधि की समानता के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। यह हितधारकों और आम जनता की जानकारी के लिए है कि ए.आई.सी.टी.ई. उच्च शिक्षा उद्देश्यों के साथ-साथ रोजगार उद्देश्य के लिए डिप्लोमा/यू.जी./पी.जी. स्तरों पर ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं की समानता प्रदान नहीं करता है। यह नियोक्ताओं पर निर्भर करता है कि वे रोजगार के उद्देश्य के मामले में किसी विशेष पद के लिए और शैक्षणिक उद्देश्य के मामले में उच्च अध्ययन के लिए संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए उपयुक्तता तय करें।

हालांकि, ए.आई.सी.टी.ई. ने अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की प्रमुख/मुख्य शाखा और शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में उपाधि के लिए उनके प्रासंगिक/उपयुक्त पाठ्यक्रमों के बारे में दिनांक 28.04.2017 को एक अधिसूचना जारी की है।

सदस्य सचिव

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद "

13. **उन्नीकृष्णन सी.वी.** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद '5' और '7' को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

"5. इस पृष्ठभूमि में, जी.आर.ई.एफ. नियम, 1982 के स्तंभ सं. 11 में निर्धारित योग्यता, यह दर्शाती है कि अधीक्षक बी.आर. श्रेणी-। के पद पर पदोन्नति चाहने वाले उम्मीदवार के पास "**असैनिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा**" होना चाहिए और सामान्य संरक्षित अभियांत्रिकी बल के श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए। जबकि अपीलकर्ता

ड्राफ्ट्समैन एस्टीमेटिंग और डिज़ाइन (डी.ई.डी.) में डिप्लोमा रखते हैं, जिस तथ्य पर वह गंभीरता से विवाद नहीं करता है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तपस दास ने इस न्यायालय के समक्ष उचित रूप से स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक गलत प्रस्ताव रखा गया था, अर्थात, यह तर्क दिया गया था कि डिप्लोमा उपाधि के समकक्ष है और इस प्रकार उक्त तर्क को नकारते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को उचित ठहराते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा लिए गए सुसंगत रुख को नजरअंदाज करने में गलती की थी, अर्थात, उनके पास डी.ई.डी. में डिप्लोमा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का है और यद्यपि स्तंभ 11 में निर्धारित किया गया है कि अधीक्षक बी.आर. श्रेणी-I के पद पर पदोन्नति के लिए असैनिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के समकक्ष माना जाना चाहिए और इस पहलू पर उच्च न्यायालय को विचार करना आवश्यक था, यह एक तर्क है जो पहली नज़र में आकर्षक लगता है। हालाँकि, अधीक्षक बी.आर. श्रेणी-II के पद पर पदोन्नति के लिए लागू मौजूदा नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर, उक्त तर्क को एक से अधिक कारणों से अनिवार्य रूप से खारिज किया जाना चाहिए। ***सबसे पहले,*** उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने अपने दावे को सही ठहराने का प्रयास किया कि "डिप्लोमा" एक "उपाधि" के समकक्ष है और इस प्रकार पदोन्नति का हकदार है, जिसे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है और यह सही भी है। ***दूसरे,*** अपीलकर्ताओं ने अपने दावे को सही ठहराने का प्रयास किया कि सीधी भर्ती के लिए लागू नियम पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए भी लागू होगा, जिसे उच्च न्यायालय ने

स्वीकार नहीं किया है। जहाँ तक पदोन्नति के लिए योग्यता के संबंध में तर्क का प्रश्न है, नियम स्वयं सुस्पष्ट और स्पष्ट है, अर्थात, यह केवल अधीक्षक बी.आर. श्रेणी-I के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित करता है, असैनिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्य संरक्षित अभियांत्रिकी बल में उस श्रेणी में 5 साल की नियमित सेवा की हो, पात्र होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त नियम असैनिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के 3 साल या उससे अधिक होने के संबंध में मौन है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ताओं के पास 'डी.ई.डी. में डिप्लोमा' है न कि 'असैनिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा'। यह एक सामान्य नियम है कि न्यायालय किसी पाठ्यक्रम की योग्यता निर्धारित नहीं करेंगी और/या उसकी समतुल्यता घोषित नहीं करेंगी। जब तक नियम स्वयं समतुल्यता निर्धारित नहीं करता, अर्थात, विभिन्न पाठ्यक्रमों को एक समान माना जाता है, तब तक न्यायालय अपने विचारों को पूरक नहीं करेंगी या विशेषज्ञ निकायों के विचारों के साथ अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करेंगी।

7. *ज़हूर अहमद राथर एवं अन्य बनाम शेख इम्तियाज अहमद एवं अन्य*[1] मामले में, यह माना गया कि राज्य, एक नियोक्ता के रूप में, पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है, नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, विभिन्न योग्यताओं की कार्यक्षमता, विभिन्न योग्यताओं के अधिग्रहण तक पहुँचने वाले पाठ्यक्रम की सामग्री आदि को ध्यान में रखते हुए। न्यायिक समीक्षा न तो निर्धारित योग्यताओं के दायरे का

1 (2019) 2 एस.सी.सी. 404 :(ए.आई.आर. ऑनलाइन 2018 एस.सी. 872)।

विस्तार कर सकती है और न ही निर्धारित योग्यताओं की किसी अन्य दी गई योग्यता के साथ समानता का निर्णय ले सकती है। योग्यता की समानता का निर्धारण भर्ती प्राधिकारी के रूप में राज्य को करना है।"

(जोर दिया गया)

**14.** मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह न्यायालय इस बारे में चर्चा नहीं कर सकता है कि क्या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में एम.टेक को विद्युत अभियांत्रिकी में एम.टेक के बराबर माना जा सकता है।

**15.** इस न्यायालय को इस रिट आवेदन पर आगे कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसे खारिज कर दिया जाता है।

**16.** लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

**(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)**

सुषमा2/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**